138 सार्वजनिक क्षेत्र के चुने हुए उद्यमों को विश्व स्तर के बड़े उद्यमों में बदलना–नवरत्न

सरकार ने अपने तारीख 22 जुलाई 1997 के लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. लो.उ.वि./11(2)97–वित के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के चुने हुए उद्यम (नवरत्नों) की स्वायत्तता में बढ़ोतरी की है और उन्हें सवंर्धित शक्तियाँ प्रत्यायोजित की हैं जिसमें अन्य के साथ–साथ अधिकतम मौद्रिक सीमा तए किए बिना नई वस्तुओं की खरीद या उनके प्रतिसथापन पर किए जाने वाले खर्च के लिए निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

2. कुछ नवरत्नों ने इस बात की पुष्टि करनी चाही है कि इस प्राधिकार के प्रत्यायोजन को ध्यान में रखते हुए नए प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए या उनके विस्तार के लिए उन्हें पीआईबी से अनुमोदन सहित सरकारी अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है और वे प्रदान की गई सवंर्धित शक्तियों के प्रत्यायोजन के अधीन आवश्यक पूंजीगत व्यय कर सकते हैं।

3 यह स्पष्ट किया जाता है कि पूंजीगत व्यय करने के संबंध में उपर्युक्त पैरा 2 (i) में उल्लिखित शक्तियां नवरत्नों के बोर्ड को उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन में दिए गए दिशानिर्देशों के अधीन पूरा प्राधिकार प्रदान करती हैं और उन्हें उपर्युक्त प्रयोजन के लिए तथा नए प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए या उनके विस्तार के लिए सरकार से और पी आई बी से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें सांविधिक या विशेष अनुदेशों के अधीन पर्यावरण संबंधी या सदृश अन्य अनापत्तियाँ प्राप्त करना शामिल नहीं है।

4. इस विषय पर इस विभाग के का.ज्ञा.सं. लो.उ.वि./16/22/90–वित्त तारीख 6.5.97 को तद्नुसार संशोधित समझा जाए।

(लो.उ.वि. का. ज्ञा. सं. लोउवि/11(2)/97–वित्त, दिनांकः 26 सितम्बर, 1997)